प्रति: निर्णय दिनांक 30-7-2019
गुण्डा एक्ट प्रकरण सं. 15/2017
सरकार बनाम श्री सूरज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिश्यिल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.7.2019	ए.पी.पी. प्रथम उपस्थित। गैरसायल के वकील अनुपस्थित। थानाधिकारी ,पुलिस थाना कोतवाली जालोर (राज.) के पत्रांकःपी एस जे/2019/4924 दिनांक 23.7.2019से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि गैरसायल सूरज उर्फ संजू पुत्र ज्वेरीलाल, जाति हरिजन,निवासी तासखाना बावडी, जालोर की मृत्यु दिनांक 31.3.2018को हो चुकी हैं। उक्त रिपोर्ट पर तस्दीक रिपोर्ट वार्ड सं.18 के पार्षद कालूराम मेघवाल द्वारा की गई है एवं श्री बाघसिंह,निरीक्षक पुलिस,थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली जालोर (राज.) द्वारा प्रमाणित किया हुआ है। सायल की ओर से ए.पी.पी.प्रथम ने भी गैरसायल फौत होने से उसके विरूद्ध 2/3राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की कार्यवाही समाप्त करने का निवेदन किया। मृतक व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है, अतः गैरसायल सूरज पुत्र ज्वेरीलाल, जाति हरिजन, निवासी तासखाना बावडी, जालोर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 2/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण 1975के तहत् कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 30.7.2019को सुनाया गया। (छगनलाल गोयल) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जालोर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.18 16:24:43 IST
Reason: SelfAttested